

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मदालत

सहायक कलेक्टर 17

SDO

मुकाम

बाणपुर

मसख खाँ

बनाम

दोरो खाँ चकौरा

किस्म मुकदमा

11249 811955

नं

52/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/2/2022	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुंभकिट चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/3/2022</u> को पेश हो।</p>	
14/03/2022	<p>प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी/वादी/अपीलांट के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजकापे गये जिनको डीबी 30 मिनट से अधिक 8) समय व्यवस्थित हो चुका है जिनकी मोर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समय लीन वार प्रवाज लगाई गई दिल्ली प्रवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्राथी/वादी/अपीलांट स्वयं या उनकी मोर से कोई अधिकतम या अधिकतम कोई उपस्थित नहीं हुआ विप्राथी/वादी/अपीलांट के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्ट मसख में लाई जाती है अतः पालत वारस पत्रावली दिनांक - 28/03/2022 को पेश हो।</p>	<p>कलक्टर (SDO) बाणपुर जिला - बाणपुर</p> <p>कलक्टर (SDO) बाणपुर</p>


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बायजुर्  
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।  
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं  
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी  
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे  
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है  
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को  
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने  
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी  
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को  
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का  
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को  
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के  
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क  
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायसु

न्यायालय उपखण्ड  
बायसु  
/कार/ 2022/ 235  
प्रार्थी  
मानक या नु. 1 कि.मी. या  
जोति सिटी मुरावमायन डिपार्टमेंट  
एडवाइज माण्डाने के अंतर्गत  
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 235  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 28/3/2022  
विप्रार्थीगण

1. मलूक खां पुत्र हिन्दाल खां,  
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कसुम्बला हरचन्द,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर


1. दोशे खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरा 07,  
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कसुम्बला हरचन्द,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या - 52/2022

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कसुम्बला हरचन्द, पटवार मण्डल - कसुम्बला भाटियान, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 193/80, 196/80 रकबा क्रमशः 1.9425, 2.5090 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद / 2022 / 236-240  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मलूक खां पुत्र हिन्दाल खां
4. विप्रार्थी श्री दोशे खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरा 07
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर

दिनांक: (SDO) बायतु  
28/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु